प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया सहित}

1. जिला– **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, बाडमेर** थाना:– **सीपीएस एसीबी जयपुर वर्ष 2023**
   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या......164/2023........ दिनांक......27/6/2023
2. (1) अधिनियम **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988**(यथा **संशोधन 2018**) धारा :–7
   (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः–
   (3) अधिनियम .... धाराये :–..
   (4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..............................453...........समय........7:10 P.M.......
   (ब) अपराध के घटने का दिन :– दिनांक **29.05.2023** समय **4.25 पी0एम0**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक **29.05.2023** समय **1.00 पी0एम0**
4. सूचना की किस्म :– **हस्तलिखित**
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **चौकी से** बदिशा **दक्षिण करीबन 60 किलोमीटर**
   (ब) पता :– **सरकारी आवास, भू–अभिलेख** निरीक्षक नोखड़ा **तहसील नोखड़ा**
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–
6. परिवादी / सूचनाकर्त्ता
   (अ) नाम :– **श्री मानाराम**
   (ब) पिता का नाम :– **श्री विरमाराम**
   (स) जन्मतिथि / वर्ष :–
   (द) राष्ट्रीयता :– **भारतीय**
   (य) पाटपोर्ट संख्या :–.. जारी होने की तिथी..............................
   (र) व्यवसाय :– **खेती**
   (ल) पता :– श्री मानाराम पुत्र श्री विरमाराम जाति जाट निवासी मगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9784276076, 7878400152
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–

   श्री मेगाराम पूनड़ पुत्र श्री ईशराराम ग्राम भांभुओं की **बेरी, पोस्ट आडेल** तहसील **नोखड़ा जिला बाड़मेर हाल भू–अभिलेख निरीक्षक, नोखड़ा** तहसील **नोखड़ा जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9982868585**

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारणः– कोई नहीं।
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–...
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य :– 50,000 **रुपये रिश्वत की मांग करना**
11. पंचनामा / यूडी केस संख्या (अगर हो तो)...
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

सेवामें

श्रीमान अतिरिकत पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो बाड़मेर

विषय – कानुनि कार्यवाही करवाने बाबत्।

महोदय

निवेदन है कि मुझ प्रार्थि मानाराम पुत्र श्री विरमाराम जाती जाट निवासी मगले की बेरी तहः नोखड़ा, जिला, बाड़मेर के जमीन हल्का पटवारी मांगले की बेरी में पत्थर बंदी का आदेश दिनांक 17,4,2023 को श्रीमान R.I. साहब के नाम कर दिया है। जिस पर मैं R.I. साहब श्री मेगराज जी से मिला तो R.I. साहब ने बोला कि आपके जीमन बहुत है। जिसको नापने में दो, तीन दिन लग जाए गे इस लिए मुझे आपको पंचास हजार रु देने पड़गे जिसमें आधे पहले तथा आधे रु बाद मे देने पड़गे जो मे रिसवत के पैसे नही देकर कानूनी कार्य वाही करवाना साहाता हूँ
संलगन आदेश कॉफी
29,5,23

भवदीय
अगुष्ठ निशान मानाराम
7878400152

एसडी / –
प्रकाशचंद
12 / 06 / 2023

एसडी / –
संजय सोनी
12 / 06 / 2023

एसडी / –
रामनिवास
12.06.23

एसडी / –
पपुराम
12,6,2023

एसडी / –
अगुष्ठ निशान मानाराम

कार्यवाही पुलिस दिनांक 29.05.2023 वक्त 1.00 पी0एम0

इस समय प्रार्थी श्री मानाराम पुत्र श्री विरमाराम जाति जाट निवासी मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर ने अपने भाण्जे श्री पप्पूराम के साथ ब्यूरो कार्यालय बाड़मेर पर उपस्थित होकर मन् रामनिवास अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र किया एवं तकरीरन दरियाफ्त पर बताया कि मेरी जमीन हल्का पटवारी मंगले की बेरी में पत्थरबंदी का आदेश दिनांक 17.04.2023 को आर0आई0 साहब के नाम करवा दिया एवं श्रीमान् आर0आई0 साहब श्री मगराजजी से मिला तो आर0आई0 साहब ने बोला कि आपके जमीन बहुत है, जिसको नापने में दो–तीन दिन लग जाएंगे, इसलिए मुझे आपको पचास हजार रुपये देने पडेंगे, जिसमें आधे पहले तथा आधे बाद में देने पडेंगे। मैं रिश्वत के पैसे नहीं देकर कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूँ। मैं प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी में अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा0भू0रा0अधि0 हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी का आदेश एवं तहसीलदार नोखड़ा को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जिस पर दिनांक 17.04.2023 को तहसीलदार द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक, नोखड़ा को नियमानुसार नेखमबंदी करने हेतु आदेशित किया गया कि छाया प्रति भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं तहसीलदार से आदेश करवाने के बाद दो–तीन बार आर0आई0 साहब से मिल चुका हूँ, किन्तु वह मेरा कार्य नहीं कर रहे है। परिवादी ने यह भी बताया कि मैं निरक्षर हूँ एवं उक्त प्रार्थना पत्र को मेरे साथ आए मेरे भाण्जे ने मेरे कहे अनुसार लिखा है, जिस पर मेरे अगुष्ठ निशान किये हुए है। मैं मेरे जाजय कार्य के लिए श्री मगराज आर0आई0 को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ एवं उन्हे रंगे हाथो गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ, मेरे उनसे कोई रंजिश नहीं है न ही कोई पुराना लेन–देन बकाया है। मैने मेरे प्रार्थना पत्र पर मेरे भाण्जे श्री पप्पूराम के मोबाईल नम्बर अंकित किये है, मेरे मोबाईल नम्बर 9784276076 है एवं मेरा उक्त मोबाईल नम्बर मैं मेरे घर पर ही रखता हूँ, मेरे पास नहीं रखता हूँ। परिवादी की रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन)अधिनियम की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर श्री लालाराम कानि0 नं0 328 को कार्यालय में तलब किया जाकर परिवादी श्री मानाराम व श्री लालाराम कानि0 नं0 328 का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय की अलमारी से डिजिटल टेप रिकॉर्डर निकालकर उक्त टेप रिकॉर्डर को परिवादी श्री मानाराम को चलाने की समझाईस की गई तथा कार्यालय के श्री लालाराम कानि0 नं0 328 को डिजीटल टेप रिकॉर्डर सुपूर्द कर मुनासिब हिदायत देते हुए रिश्वती राशि मांग–सत्यापन हेतु परिवादी के साथ परिवादी के कहे अनुसार नोखड़ा के लिए रवाना किया गया। परिवादी श्री मानाराम व उसका भाण्जा अपनी मोटरसाईकल से ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुए थे, जिस पर श्री लालाराम कानि0 को उनकी स्वयं की निजी मोटरसाईकल से उनके साथ रवाना किया गया। रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु गये हुए श्री लालाराम कानि0 नं0 328 ने जरिये वाट्सअप कॉल कर अवगत करवाया कि रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन हो चुका है। श्री लालाराम कानि0 ने बताया कि ब्यूरो चौकी से रवाना होकर परिवादी के कहे अनुसार आर0आई0 नोखड़ा के सरकारी क्वाटर के बाहर पहुचे, परिवादी ने बताया कि आर0आई0 साहब अपने सरकारी क्वाटर में ही उपस्थित होंगे, जो मेरे से रिश्वती राशि के सम्बंध में वार्ता कर लेंगे, जिस पर मेरे द्वारा ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर ऑपरेट करने की समझाईश कर चालू कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को रिकार्ड कर लाने हेतु श्री मानाराम को रवाना किया। परिवादी श्री मानाराम का भाण्जा नोखड़ा बाजार में पहुचते ही हमसे अलग हो गया था। परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर सुपूर्द करने के बाद मैं पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के पुनः लोटने के इंतजार में मुकीम हुआ। करीबन 10 मीनट बाद परिवादी श्री मानाराम पुनः मेरे पास आया एवं ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर मन् कानि0 को सुपूर्द किया, जिसे मेरे द्वारा प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर स्वयं की सुरक्षा में रखा। मेरे द्वारा परिवादी श्री मानाराम से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप के सम्बंध में पूछने पर श्री मानाराम ने बताया कि श्री मगराज आर0आई0 साहब अपने क्वाटर में मुझे उपस्थित मिले, जिस पर मैने उन्हें मेरे खेत की पैमाईश का कहने पर उन्हौने कहाँ कि तेरा खेत बड़ा है, खेत मापने मे समय लगेंगा, जिस पर मैने उन्हें कहा कि बाद में बरसात हो जायेगी, जिस पर उन्हौने मेरे से पूर्व में मांगी गई रिश्वत राशि 50,000रुपये मांगे, जिस पर मैने उन्हें उसी समय 5000रुपये निकाल कर दे दिये एवं शेष राशि मेरे सोसायटी स्वीकृत होने के बाद दे देना कहा। उसके बाद मैने उनसे कुछ कम करने का कहा तो उन्हौने कहा कि पॉच हजार कम दे देना, किन्तु गाड़ी लेकर आ जाना उसका खर्चा भी तेरे को देना पडेंगा। गाड़ी मुझे व पटवारी मैडम को लाने एवं पुनः छोड़ने की व्यवस्था कर देना, जिस पर मैने कहा यह तो 50,000रुपये ही हो गये, जिस पर उन्हौने कहा कि इतने तो लगेंगे, तेरा खेत बड़ा है, जिस पर मैने उन्हें खेत मापने एवं बकाया पैसे देने का कहा तो उन्हौने कहा कि अभी दो दिन केम्प है उसके बाद में मैं तेरे खेत की पैमाईश कर दूंगा इत्यादि वार्ता की जो मेरे द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री लालाराम कानि0 को परिवादी से वार्ता करवाने

का कहने पर श्री लालाराम कानि0 ने अपने मोबाईल से परिवादी श्री मानाराम से वार्ता करवाई तो परिवादी ने भी श्री लालाराम कानि0 द्वारा अवगत करवाये गये हालात की ताईद की एवं बताया कि श्री मानाराम आर0आई0 साहब दो दिन तक केम्प में ड्यूटी पर है, उसके बाद में वह जब उक्त ड्यूटी से मुक्त हो जायेंगा तो मैं मेरे खेत की पैमाईस के वक्त आपसे सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने एवं आर0आई0 द्वारा उनसे सम्पर्क करने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने की हिदायत दी एवं श्री लालाराम कानि0 को डिजिटल टेप रिकार्डर सहित अविलम्ब ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया गया। दिनांक 29.05.2023 को सायं 8.00 पी0एम0 पर श्री लालाराम कानि0 ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुआ एवं डिजिटल टेप रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपूर्द कर पूर्व में जरिये वाट्सअॅप कॉल रिश्वती राशि मांग सत्यापन हालात अवगत करवाये, जिस पर डिजिटल टेप रिकार्डर को ऑन कर सुनने पर श्री लालाराम कानि0 एवं परिवादी श्री मानाराम द्वारा बताये तथ्यो की पुष्टि हुई एवं परिवादी श्री मानाराम के खेत की पैमाईश करने की एवज में श्री मगराज भू–अभिलेख निरीक्षक नोखड़ा द्वारा परिवादी से 50,000रुपये रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। चूंकि उक्त ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही परिवादी के ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने पर की जानी होने से डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षित अभिरखा में रखा। आईन्दा परिवादी के कार्य बाबत भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा उनसे सम्पर्क करने पर परिवादी के अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरो चौकी पर उपस्थित आने पर की जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 06.06.2023 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री लालाराम कानि0 328 को परिवादी के भाण्जे श्री पप्पूराम से अग्रिम कार्यवाही के सम्बंध में वार्ता करवाने का कहने पर श्री लालाराम कानि0 द्वारा अपने मोबाईल से वाट्सअॅप कॉल पर श्री पप्पूराम से वार्ता करवाई तो श्री पप्पूराम ने बताया कि मैं अभी मेरे मामा श्री मानाराम के घर पर ही हूँ। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री मानाराम से उसकी जमीन पैमाईंश के सम्बंध में पूछने पर बताया कि आर0आई0 साहब द्वारा दिनांक 03.06.23 व 04.06.2023 को एक अन्य महिला पटवारी के साथ अपनी स्कॉपियो गाड़ी में आकर मेरे जमीन की पैमाईंश कर दी एवं मेरे से 50,000रुपये उसी समय मांगे, जिस पर मैने कहा कि मेरी सोसायटी अभी तक मिली नहीं है, मिलते ही मैं एक–दो दिन में रुपये आपको पहुचा दूंगा। आर0आई0 श्री मगराजजी ने मेरी जमीन की पैमाईश कर दी, किन्तु अभी तक रिपोर्ट हमारे को नहीं दी है। मैं एवं मेरा भाण्जा श्री पप्पूराम अग्रिम कार्यवाही हेतु रुपयो की व्यवस्था कर आर0आई0 साहब की उपस्थिति ज्ञात कर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जायेंगे। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री मानाराम एवं श्री पप्पूराम को आरोपी श्री मगराज आर0आई0 द्वारा रिश्वत में मांगी गई राशि 50,000रुपये की व्यवस्था कर दिनांक 07.06.2023 को प्रातः 10.00ए0एम0 पर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने बाबत पाबंध कर अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत हुई। कुछ समय पश्चात श्री पप्पूराम ने श्री लालाराम कानि0 के मोबाईल पर वाट्सअप कॉल कर अवगत करवाया कि मेरे मामाजी द्वारा अपने मोबाईल से श्री मगराज आर0आई0 के मोबाईल नम्बर 9982868585 पर कॉल कर वार्ता की एवं उनके द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि 50,000रुपये कल प्रातः पहुचाने बाबत पूछा तो उसने कहा कि मैं अभी दो दिन बाहर हूँ, इतना कह कर फोन काट दिया। पुनः प्रयास करने पर कॉल नहीं लगा। मेरे मामाजी भी मेरे पास ही है, जिस पर श्री मानाराम से वार्ता करने पर उन्हौने भी बताया कि आर0आई0 साहब ने स्वयं को दो दिन बाहर होना बताया है। हम उनके उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय में उपस्थित हो जायेंगे। दिनांक 12.06.2023 को परिवादी श्री मानाराम अपने भाणजे श्री पप्पूराम के साथ कार्यालय हाजा में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित हुआ एवं बताया कि श्री मगराज आर0आई0 द्वारा मेरे जमीन की पैमाईंश हमारी हल्का पटवारी मैडम के साथ मौके पर आकर कर दी एवं मौके पर ही मेरे से 50,000रुपये रिश्वत की मांग की, जिस पर मैने एक–दो दिन में पहुचाने का कहा, उसके बाद दिनांक 06.06.2023 को आपसे हुई वार्ता उपरान्त मैने श्री मगराज आर0आई0 से मोबाईल पर वार्ता की तो उन्हौने दो दिन बाहर होना बताया। उसके उपरान्त मैने अगले एक–दो दिन उनसे सम्पर्क करने का प्रयास किया एवं मोबाईल से कॉल भी किया, किन्तु उन्हौने मेरा कॉल उठाया नहीं, जिससे उनसे कोई वार्ता व सम्पर्क नहीं हो पाया। पिछले दो दिन से मेरे रिस्तेदार मेरे पास आकर कह रहे है कि आपने आर0आई0 साहब के खिलाफ क्या कार्यवाही करवाई है वह हमे कह रहे है कि मैने उसका काम कर दिया एवं काम के बदले जो पैसे मांगे थे, वह अब देने की जरुरत नहीं है। मेरे खिलाफ शिकायत मे आगे कोई कार्यवाही नहीं करवाये। उसके बाद मेरे एक–दो रिस्तेदार भी मेरे घर आकर गये एवं बताया कि आपने आर0आई0 साहब के खिलाफ शिकायत की है आप वापिस ले लो, पैसे देने की जरुरत नहीं है। हमारे रिस्तेदारो के मार्फत हमे जानकारी हुई है कि श्री मगराजजी आर0आई0 साहब को मेरे द्वारा करवाई जाने वाली कार्यवाही की भनक लग गई है एवं अब वह मेरे से वार्ता नहीं कर रहा है एवं मेरे रिस्तदोरो के मार्फत मेरे उपर राजीनामा करवाने की दबाव डलवा रहा है। अब वह मेरे से रिश्वत में मांगी गई 50,000रुपये की राशि में से एक भी रुपया नहीं लेगा, जिससे अग्रिम रिश्वती लेन–देन की कार्यवाही मेरे से नहीं करेगा। परिवादी श्री मानाराम द्वारा बताये गये

हालात से श्री मगराज भू–अभिलेख निरीक्षक को परिवादी द्वारा करवाई जाने वाली कार्यवाही की भनक लगने से अब उक्त ट्रेप कार्यवाही में रिश्वती राशि लेन–देन की कार्यवाही होना सम्भव नहीं है। उक्त ट्रेप कार्यवाही में रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की फर्द ट्रांसक्रिप्ट्स मूर्तिब करना शेष होने से दो गवाहान की आवश्यकता को देखते हुए गवाहान तलब करने का निर्णय लिया जाकर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 674 दिनांक 12.06.2023 मूर्तिब कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को इस कार्यालय के विशेष वाहक श्री ठाकराराम कानि0 को दो स्वतंत्र गवाह उपलब्ध करवाने हेतु रवाना किया, जिस पर कुछ समय पश्चात श्री ठाकराराम कानि0 दो कार्मिको को साथ लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित हुए, जिस पर कार्मिको को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय देकर उनका परिचय पूछने पर अपना परिचय क्रमशः श्री संजय सोनी पुत्र श्री मेवाराम सोनी जाति सोनी उम्र 38 वर्ष पैशा नौकरी निवासी पिपाजी मंदिर के पास, बाड़मेर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9571612294 एवं श्री प्रकाशचन्द्र पुत्र श्री अणदाराम जाति मेघवाल उम्र 33 वर्ष पैशा नौकरी निवासी गांव नागणेशिया ढुण्ढा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9667504605 होना बताया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मेरे कक्ष में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री मानाराम एवं श्री पप्पूराम का दोनो गवाहान से परिचय करवाया जाकर ब्यूरो चौकी पर तलब करने के मन्तव्य से अवगत करवाया गया एवं परिवादी श्री मानाराम द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहान को भी परिवादीगण के रुबरु पढ़वाया गया एवं दोनो स्वतंत्र गवाह के रुबरु पुनः परिवादी के अंगुष्ठ निशान करवाये एवं श्री पप्पूराम के भी हस्ताक्षर करवाये जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अलमारी में से डिजिटल टेप रिकार्डर निकालकर परिवादी के रुबरु दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनवाया गया एवं दोनो गवाहान ने भी परिवादी से उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बंध में वार्ता कर अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में जानकारी प्राप्त कर परिवादी के उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाह ने भी बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्रदान करते हुए अपने–अपने हस्ताक्षर किये एवं परिवादी से भी इस सम्बंध में वार्ता कर तसल्ली की। ताबाद प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री मानाराम एवं आरोपी श्री मगराज भू–अभिलेख निरीक्षक, नोखड़ा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर के मध्य दिनांक 29.05.2023 को रुबरु हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रूबरू दोनो स्वतंत्र मौतबिरान एवं परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से उक्त वार्तालाप को एक मेमोरी कार्ड 16जीबी में एवं एक सी0डी0 में श्री बांकाराम कानि0 से लोड करवाया जाकर मेमोरी कार्ड को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं सी.डी. को खुली रखी गई। आरोपी श्री मगराज भू–अभिलेख निरीक्षक नोखड़ा एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री मानाराम द्वारा की गई। उक्त मूल मेमोरी कार्ड की कपड़े की थैली एवं सी0डी0 को सुरक्षित जमा मालखाना करवाया गया।

इस प्रकार उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में परिवादी के कथनानुसार आरोपी श्री मगराज भू–अभिलेख निरीक्षक नोखड़ा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर को परिवादी द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही की शंका होने से अग्रिम रिश्वती राशि लेन–देन होना सम्भव नहीं होने से अब तक की कार्यवाही अनुसार आरोपी श्री मगराज भू–अभिलेख निरीक्षक नोखड़ा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर द्वारा परिवादी श्री मानाराम के जमीन की पैमाईश करने की एवज में 50,000रुपये रिश्वत की मांग करना एवं 5000रुपये रिश्वती राशि दौराने मांग सत्यापन प्राप्त दिनांक 29.05.2023 को परिवादी से प्राप्त करना प्रथम दृष्टाया अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का अपराध कारित करना पाया गया। उक्त कार्यवाही में परिवादी श्री मानाराम, श्री पप्पूराम व दोनो स्वतंत्र गवाह श्री संजय सोनी कनिष्ठ सहायक एवं श्री प्रकाशचन्द्र कनिष्ठ सहायक की आवश्यकता नहीं होने से रुखस्त प्रदान की गई।

ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी श्री मानाराम द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में आरोपी का नाम मगराज अंकित किया था एवं दरियाफ्त पर भी आरोपी का नाम मगराज होना बताया था, जिस पर सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही में आरोपी का नाम मगराज अंकित किया गया था, किन्तु आरोपी के विरुद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्व करने हेतु सक्षम अधिकारी से सेवा रेकर्ड अनुसार सेवा विवरण चाहने पर उन्हौने आरोपी की सेवा रेकर्ड अनुसार नाम मेगाराम पूनड़ होना बताया, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी का सेवा रेकर्ड अनुसार नाम श्री मेगाराम पूनड़ होना पाए जाने पर उक्त नाम अंकित किया गया।

अतः आरोपी श्री मेगाराम पूनड़ पुत्र श्री ईशराराम ग्राम भांभुओं की बेरी, पोस्ट आडेल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर हाल भू–अभिलेख निरीक्षक, नोखड़ा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर के विरुद्ध अर्न्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे।

भवदीय,

(रामनिवास)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बाड़मेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामनिवास, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री मेगाराम पूनड़ पुत्र श्री ईशराराम, भू-अभिलेख निरीक्षक, नोखड़ा तहसील नोखड़ा, जिला बाड़मेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 164/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27.6.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक:-1231-34 दिनांक:- 27.06.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. जिला कलक्टर, जिला बाड़मेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर।

27.6.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।